Provided that if the Administrator is of the opinion that having regard to the difficulty in maintaining accounts or for other sufficient cause the taxable quantum in respect of any class of dealers failing under clause (b) or (c) should be increased, the Administrator may, by notification in the Official Gazette, fix in respect of such class of dealers such taxable quantum not exceeding Rs. 2.50 lac for clause (b) and Rs. 5.00 lac for clause (c) as may be specified in the notification.

Explanation :- For the purpose of computation of taxable quantum under sub-section (7), the turnover of sales effected by a dealer shall be taken into account irrespective of whether such sales are taxable under this Act or not.

3. Amendment of Section 39:--In Section 39 of the Principal Act, for the words "ten rupees" wherever they occur, the words "one hundred rupees" shall be substituted.

सं. फा. 13/5/94-न्याय/II/633.—उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 8 अप्रैल, 1994 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

दिल्ली (शक्तियों का प्रत्यायोजन) (संशोधन) अधिनियम, 1994

दिल्ली अधिनियम संख्या 5, 1994

अधिनियम (8-4-1994)

भारत गणतन्त्र के 45वें वर्ष में यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(1) यह अधिनियम दिल्ली (शक्तियों का प्रत्यायोजन) (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहलाएगा।

(2) यह उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि से सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के लिए इसकी तारीख निर्धारित करेगी।

2. धारा 3 का संशोधन.—दिल्ली (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1964 (इसके बाद मुख्य अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में धारा 3, उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित उपधारा अन्तर्विष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

(1-क) "किसी शक्ति, प्राधिकार या क्षेत्राधिकार या कोई कार्य जिससे प्रशासक अनुसूची के कालम-1 में क्रम सं. 6 से 11 पर उल्लिखित किसी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या उसके द्वारा प्रयोग या निर्वहन करेगा तथा शासकीय राजपत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन की अधिसूचना द्वारा इस संबंध में या तथा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा भी प्रयोग या निर्वहन की जाएगी।"

3. अनुसूची का संशोधन.—मुख्य अधिनियम की अनुसूची में क्रम सं. 5 के बाद निम्नलिखित क्रम संख्याओं और उनकी प्रविष्टियां अन्तर्विष्ट की जाएंगी, अर्थात: —

"अधिनियम का नाम	प्रशासक में शक्तियां निहित करने वाले प्रावधान	अधिकारी अथवा प्राधिकारी जो शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे
6. दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम 1972 (1972 की संख्या 35)	धारा 31(7), 76 (2)(ख) एवं (ग) और धारा 30	वित्तीय आयुक्त
7. पंजाब उत्पाद अधिनियम, 1914 (1914 पंजाब अधिनियम को सं 1) दिल्ली में लागू	धारा 15	वित्तीय आयुक्त
8. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	धारा 14	मुख्य सचिव
9. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	धारा 6 ग	वित्तीय आयुक्त
10. पूर्व पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धति का औषध अधिनियम, 1949 (पंजाब अधिनियम, 14—1949) दिल्ली में लागू	धारा 5	वित्तीय आयुक्त
11. दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953 (1953 का दिल्ली अधिनियम 6)	धारा 8(3)	वित्तीय आयुक्त

No. 13/5/94—Judl./II/633 :—The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi, on the 8th April, 1994, and is hereby published for general information :—

THE DELHI (DELEGATION OF POWERS) AMENDMENT ACT, 1994

Delhi Act, No. 5 of 1994

(8-4-1994)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi).

AN

ACT

to amend the Delhi (Delegation of Powers) Act, 1964

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi (Delegation of Powers) (Amendment) Act, 1994.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of Section 3.—In the Delhi (Delegation of Powers) Act, 1964 (hereinafter referred to as the 'Principal Act.) in Section 3, after sub-section (1). the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(1-A) Any power, authority or jurisdiction or any duty which the Administrator may exercise or discharge by or under the provisions of any enactments mentioned at S. Nos. 6 to 11 in column No. 1 of the Schedule may be exercised or discharged also by such other officer or authority as may be specified in this behalf by the Govt. of National Capital Territory of Delhi by Notification in Official Gazette."

3. Amendment of Schedule.—In the Principal Act in the Schedule after S. No. 5, the following serial numbers and the entries thereof shall be inserted, namely :—

"Name of enactment	Provisions vesting powers in the Administrator	Official or authority who may also exercise the powers
1	2	3
6. Delhi Co-operative Societies Act, 1972 (No. 35 of 1972)	Sections 31 (7), 76(2) (b) & (c) and Section 80	Financial Commissioner
7. Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act No. 1 of 1914) as in force in Delhi	Secton 15	Financial Commissioner
8. Wild Life (protection Act 1972	Section 14	Chief Secretary
9. The Essential Commodities Act, 1955	Section 6 C	Financial Commissioner
10. The East Punjab Ayurvedic & Unani System of Medicines Act, 1949 (Punjab Act 14 of 1949) as in force in Delhi.	Section 5	Financial Commissioner.
11. The Delhi Nursing Homes Registration Act, 1953 (Delhi Act 6 of 1953)	Section 8(3)	Financial Commissioner"

सं. फा. 13/4/94/न्याय/II/634 :— उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 8 अप्रैल, 1994 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

पंजाब न्यायालय (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 1994

(दिल्ली अधिनियम संख्या 4, 1994)

अधिनियम

(8-4-1994)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (1918 का अधिनियम सं. 6) में और आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम

भारत गणतन्त्र के 45 वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा इसे निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाए :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम को पंजाब न्यायालय (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जाए।

(2) यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली शासन द्वारा इस सम्बन्ध में शासकीय राजपत्र में अधिसूचित तिथि से प्रभावी होगा।

2. पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (1918 का पंजाब अधिनियम संख्या 6) का संशोधन—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब न्यायालय अधिनियम 1918 में (1918 का पंजाब अधिनियम सं. 6)

(क) धारा 18(3), 22(1), 26, 27(1), 27(2), 28(1), 28(4) 29, 30(1), 30(3), 30(4) 37 39(1), 39(3) तथा 40(1) में आने